

बंधुत्व की भावना को पुनर्जीवित करना

यह एडिटरियल 27/04/2023 को 'द हट्टि' में प्रकाशित **“The challenge of reviving a sense of fraternity”** लेख पर आधारित है। इसमें भारत के संविधान की प्रस्तावना में शामिल किये गए बंधुत्व के सिद्धांत और बंधुत्व की अवधारणा के बारे में चर्चा की गई है।

प्रलिस के लिये:

प्रस्तावना, 42वाँ संशोधन अधिनियम, मौलिक कर्तव्य, संविधान सभा

मेन्स के लिये:

बंधुत्व का अर्थ, बंधुत्व के आदर्शों को प्राप्त करने की चुनौतियाँ

बंधुत्व (Fraternity) का अभिप्राय है सभी भारतीयों के सामान्य बंधुत्व की भावना, जो सामाजिक जीवन को एकता और एकजुटता प्रदान करती है।

बंधुत्व का विचार सामाजिक एकजुटता (Social Solidarity) से घनिष्ठ रूप से संबद्ध है, जिससार्वजनिक समानुभूति (Public Empathy) के बिना प्राप्त करना असंभव है।

आचार्य कृपलानी ने रेखांकित किया था कि प्रस्तावना के आधारभूत तत्त्व (Contents) न केवल वधिक और राजनीतिक सिद्धांत थे, बल्कि इनमें नैतिक, आध्यात्मिक और रहस्यवादी तत्त्व भी शामिल थे।

यह वर्ष 1935 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की एक आधिकारिक मांग बन गई और अप्रैल 1936 में लखनऊ सत्र में जवाहरलाल नेहरू की अध्यक्षता में इसे आधिकारिक तौर पर स्वीकार कर लिया गया। उल्लेखनीय है कि पंडित नेहरू ने ही बाद में 'उद्देश्य संकल्प' (Objectives Resolution) का मसौदा तैयार किया था।

संविधान सभा के समापन सत्र में भीम राव अंबेडकर ने संविधान में बंधुत्व के सिद्धांत की मान्यता के अभाव की ओर ध्यान आकर्षित किया। उन्होंने कहा कि 'बंधुत्व के बिना समानता और स्वतंत्रता की जड़ें अधिक गहरी नहीं होंगी।' (*“without fraternity, equality and liberty would be no deeper than coats of paint”*)।

संविधान सभा द्वारा भारत के संविधान का मसौदा तैयार किया गया था जहाँ बंधुत्व को आधारभूत सिद्धांतों में से एक के रूप में चिह्नित किया गया था। हालाँकि, बंधुत्व की अवधारणा को पर्याप्त रूप से समझा नहीं गया है और इसके कर्तव्यों का संविधान में स्पष्ट रूप से उल्लेख नहीं किया गया है।

बंधुत्व की प्राप्ति के मार्ग की चुनौतियाँ

■ सामाजिक और सांस्कृतिक मतभेद:

- विभिन्न समुदायों के बीच संस्कृतियों और परंपराओं की विविधता भ्रान्ति और संघर्ष का कारण बन सकती है।
- यह सामाजिक और सांस्कृतिक अवरोध उत्पन्न कर सकती है जो भ्रातृत्व/भाईचारे की भावना को बाधित करती है।
- उदाहरण के लिये, धार्मिक या जाति-आधारित मतभेदों से अविश्वास, भेदभाव और यहाँ तक कि हिंसा की भी स्थिति बन सकती है। इससे बंधुत्व का क्षरण और समाज का ध्रुवीकरण हो सकता है।

■ आर्थिक विषमताएँ:

- समाज के विभिन्न वर्गों के बीच वृद्ध आर्थिक विभाजन असंतोष और भेदभाव की भावनाओं को जन्म दे सकता है, जिससे नागरिकों में विश्वास और सहयोग की कमी की स्थिति बन सकती है।
- जब लोगों को लगता है कि उनके साथ भेदभावपूर्ण व्यवहार किया जा रहा है या उनकी आर्थिक स्थिति उनकी सफलता के लिये बाधा है, तो वे साझा भलाई के लिये सहयोग करने और मिलकर कार्य करने की कम संभावना रखते हैं।
- इससे उस सामाजिक संसंजन (Social Cohesion) का विखंडन हो सकता है जो बंधुत्व का एक मूलभूत पहलू है।

■ राजनीतिक मतभेद:

- राजनीतिक विचारधाराएँ समाज में गहरे विभाजन पैदा कर सकती हैं और **सहयोग एवं संवाद को बाधति कर सकती हैं**।
- राजनीतिक मतभेद **ध्रुवीकरण की ओर** भी ले जाते हैं, जहाँ लोग राजनीतिक रेखाओं पर गहनता से विभाजित हो जाते हैं।
- यह **शतरुता और असह्यिणुता का माहौल उत्पन्न कर सकता है**, जहाँ लोग रचनात्मक संवाद में संलग्न होने या साझा लक्ष्यों की दशा में कार्य करने के प्रति अनच्छुक होते हैं।
- **वशवास की कमी:**
 - विभिन्न समूहों के बीच वशवास और आपसी समझ की कमी भ्रातृत्व की भावना को कमजोर कर सकती है।
 - जब लोग एक-दूसरे पर भरोसा नहीं करते हैं या उनमें **भ्रांतयि** होती है तो एक साझा लक्ष्य के लयिमलिकर कार्य करना कठिन हो जाता है।
- **संवैधानिक नैतिकता की वफिलता:**
 - **संवैधानिक नैतिकता** (Constitutional Morality), जो भारतीय संवैधान में नहिति मूल्यों पर आधारित है, बंधुत्व को बनाए रखने के लयि महत्त्वपूर्ण है।
 - संवैधानिक नैतिकता की वफिलता से **संस्थानों और वधि के शासन के प्रति भरोसा कम होने की स्थिति बिन सकती है**।
 - यह अनश्चितता और अस्थिरता का माहौल उत्पन्न कर सकता है, जो अंततः समाज में भ्रातृत्व और सामाजिक संसजन की भावना को कमजोर कर सकता है।
- **अपर्याप्त नैतिक व्यवस्था:**
 - लोकतंत्र की सफलता के लयि समाज में एक कार्यशील नैतिक व्यवस्था का होना आवश्यक है। इसमें **नैतिक मूल्यों, सामाजिक उत्तरदायित्व और सामाजिक न्याय** की भावना का पालन करना शामिल है।
 - इस वधिय में कोई भी असफलता भ्रातृत्व की भावना के क्षरण का कारण बन सकती है।
 - उदाहरण के लयि, यदव्यक्तयिों को अनैतिक कृत्यों के लयि जवाबदेह नहीं ठहराया जाता है, तो इससे नागरिकों के बीच भरोसे का क्षरण हो सकता है, जसिके परिणामस्वरूप सामाजिक और सांस्कृतिक बाधाएँ उत्पन्न होती हैं जो फरि बंधुत्व को बाधति करती हैं।

बंधुत्व से संबंधति संवैधानिक उपबंध

- **प्रस्तावना:**
 - संवैधान की प्रस्तावना में स्वतंत्रता, समानता और न्याय के साथ ही बंधुत्व के सिद्धांत को भी शामिल किया गया है।
- **मूल कर्तव्य:**
 - वर्ष 1977 में **42वें संशोधन** द्वारा **मूल कर्तव्यों** से संबंधति **अनुच्छेद 51A** को शामिल किया गया जसि वर्ष 2010 में 86वें संशोधन द्वारा संशोधित किया गया।
 - **अनुच्छेद 51 A(e)** में “भारत के सभी लोगों में समरसता और समान भ्रातृत्व की भावना का नरिमाण करने” के प्रत्येक नागरिक के कर्तव्य को संदर्भित किया गया है।

भारतीय संदर्भ में बंधुत्व की प्राप्ति के लयि क्या उपाय कयि जा सकते हैं?

- **अंतर-धार्मिक संवाद को बढ़ावा देना:**
 - भारत एक समृद्ध सांस्कृतिक और धार्मिक वरिसत संपन्न विविधतापूर्ण देश है। विभिन्न धर्मों/पंथों के बीच संवाद और समझ को प्रोत्साहित करने से बंधुत्व की भावना को बढ़ावा मलि सकता है।
- **विविधता का सम्मान करना:**
 - भारत विभिन्न धर्मों, जातयिों और समुदायों के लोगों का घर है। मतभेदों का सम्मान करने और विविधता को स्वीकार करने से लोगों को नकट लाने और बंधुत्व की भावना उत्पन्न करने में मदद मलि सकती है।
- **संवैधानिक मूल्यों के बारे में लोगों को शक्ति करना:**
 - भारतीय संवैधान समानता, स्वतंत्रता और बंधुत्व जैसे कई मूल्यों को स्थापित करता है। इन मूल्यों के बारे में लोगों को शक्ति करने से उनमें बंधुत्व की भावना उत्पन्न करने में मदद मलि सकती है।
- **स्वयंसेवा को प्रोत्साहित करना:**
 - सामाजिक कारणों के लयि स्वयंसेवा (Volunteering) विभिन्न पृष्ठभूमि के लोगों को एक साथ ला सकती है और उन्हें एक साझा लक्ष्य की दशा में कार्य करने में मदद कर सकती है, जसिसे बंधुत्व की भावना को बढ़ावा मलित है।
- **सामाजिक पहलों का समर्थन करना:**
 - समावेशति और समानता को बढ़ावा देने वाली सामाजिक पहलों का समर्थन करने से समाज में बंधुत्व की भावना उत्पन्न करने में मदद मलि सकती है।
- **राष्ट्रीय गौरव की भावना को बढ़ावा देना:**
 - देशभक्ति और राष्ट्रीय गौरव को बढ़ावा देना लोगों को एक साथ ला सकता है और यह बंधुत्व एवं एकता की भावना को बढ़ावा दे सकता है।

नक्षिकर्ष

- बंधुत्व एक आवश्यक सिद्धांत है जसिके लयि सामूहिक कार्रवाई और सार्वजनिक समानुभूति की आवश्यकता होती है। संवैधान बंधुत्व के महत्त्व को स्वीकार करता है, लेकिन इसके नहितिार्थों एवं कर्तव्यों के लयि आगे और अधिक वमिर्श एवं समझ की आवश्यकता है। भीम राव अबेडकर ने संवैधान के मसौदे में एक कमी की ओर ध्यान आकर्षित किया था और कहा था कि बंधुत्व की प्राप्ति आसान नहीं है।
- सामान्य भावना के मनोवैज्ञानिक तथ्य और बंधुत्व या सहयोग के राजनीतिक सिद्धांत के बीच अंतर करना होगा। संवैधान में नहिति नैतिक मूल्यों की खोज करके भारत में बंधुत्व की भावना का पुनरुद्धार कयि जा सकता है।

अभ्यास प्रश्न: भारतीय संविधान में मौजूद बंधुत्व की अवधारणा का विश्लेषण करें और वर्तमान भारत में बंधुत्व की भावना के पुनरुद्धार के मार्ग की चुनौतियों की चर्चा करें।

UPSC सविलि सेवा परीक्षा पछिले वर्ष के प्रश्न (PYQs)

??????:

प्र. नमिनलखिति में से कौन सा उद्देश्य भारत के संविधान की प्रस्तावना में सन्नहिति नहीं है? (2017)

- (a) वचिर की स्वतंत्रता
- (b) आर्थकि स्वतंत्रता
- (c) अभवियकर्ता की स्वतंत्रता
- (d) वशिवास की स्वतंत्रता

उत्तर: (b)

व्याख्या:

- हम, भारत के लोग, भारत को एक संपूरण प्रभुत्व-संपन्न, समाजवादी, पंथनरिपेक्ष, लोकतंत्रात्मक गणराज्य बनाने के लिये तथा इसके समस्त नागरिकों को:

सामाजकि, आर्थकि और राजनीतिक न्याय,
वचिर, अभवियकर्ता, वशिवास, धर्म और उपासना की स्वतंत्रता,
प्रतषिटा और अवसर की समता
प्राप्त कराने के लिये तथा उन सब में
व्यक्तकी गरमि और राष्ट्र की एकता
तथा अखंडता सुनशिचति करने वाली
बंधुता बढाने के लिये

- दृढ संकल्पति होकर अपनी इस संविधान सभा में आज दनिंक 26 नवंबर, 1949 ई. को एतद द्वारा इस संविधान को अंगीकृत, अधनियिमति और आत्मारपति करते हैं।”
- अतः विकल्प (b) सही है।

??????:

प्र. 'प्रस्तावना' में 'गणराज्य' शब्द से जुड़े प्रत्येक वशिषण पर चर्चा कीजिये। क्या वे वर्तमान परस्थितियों में पररिक्षण योग्य हैं? (2016)